कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक/स्वशासी/स्था/राज/23 2964 जबलपुर दिनांक 4 /04/2023

विज्ञापन

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 4-30/2017/1-55 भोपाल दिनांक 14.08.2017 मे प्रदान स्वीकृत एवं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के राजपत्र क्रमांक एफ-07-25-2019-आ.प्र.-एक - मध्यप्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) नियम, 1998 में संशोधन दिनांक 19/08/2019 के अनुसार सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में सीनियर/जूनियर रेसीडेन्ट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित समयावधि (Tenure) 03 वर्ष हेतु भरे जाने के लिये निर्धारित प्रारूप में वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु दिनांक 12/04/2023 को आयोजित किया जावेगा।

Senior Resident

S.No.	SUBJECT	UR	OBC	ST	SC	Total Vacant
1	ANAETHESIA	02 (01+1F)	1	1	00	04
2	NEUORLOGY	03 (02+1F)	1	1	1	06
3	NEURO SURGERY	01 (1F)	1	1	1	04
4	CARDIOLOGY	02 (1+1F)	1	0	1	04
5	CARDIAC SURGERY	0	0	1	1	02
6	NEPHROLOGY	02 (01+1F)	1	0	1	04
7	UROLOGY	01 (1F)	1	1	1	04
8	RADIODIAGNOSIS	03 (02+1F)	1	1	1	06
9	NEONATOLOGY	0	1	0	0	01
10	NEURO ANAETHESIA	02	1	1	1	05
11	NEURO RADIOLOGY	2	1	1	1	05
12	NEUROPATHOLOGY	0	0	01	01	02
TOTAL :-		**18**	**10**	**09**	**10**	**47**

Junior Resident

S.No.	SUBJECT	UR	OBC	ST	SC	Total Vacant
1	ANAETHESIA	0	0	1	-	01
2	Neurology	0	01	1	-	02
3	NEURO SURGERY	1	1	1	-	03
4	CARDIOLOGY	0	0	1	-	01
5	CARDIAC SURGERY	0	0	0	-	00
6	NEPHROLOGY	0	0	0	-	00
7	UROLOGY	01	1	1	-	03
8	RADIODIAGNOSIS	0	1	0	-	01
9	NEONATOLOGY	01	00	01	-	02
TOTAL :-		**03**	**04**	**06**		**13**

नोट:- रिक्त पदों की संख्या मे कमी या वृद्धि की जा सकती है। महिला चिकित्सक न होने पर पुरूष वर्ग से भरा जावेगा।

साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाणपत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उम्मीदवार को उपस्थित होना अनिवार्य होगा । इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

नोट :-

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रहेगा।
2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृध्दि हो सकती है।
3. अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नही मिलते है तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी सकेगी।
4. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यार्थी साक्षात्कार का पात्र नही हो जायेगा।

5. रिक्त पद उपलब्ध होने तक वाक-इन-इन्टरव्यू जारी रहेगा । अतः आवेदन के पूर्व पद की उपलब्धता का पता कार्यालय के स्थापना शाखा से ज्ञात किया जा सकेगा।

शर्तें:-

1. **अवधि:** - सीनियर रेसीडेन्ट/जूनियर रेसीडेन्ट की सेवा-अवधि(Tenure)तीन वर्ष की होगी। प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी । तत्पश्चात सेवायें सनतोषजनक पाये जाने पर 01 वर्ष बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी ।

2. **नियुक्ति का तरीका:**-योग्य अभ्यार्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंको एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी ।

3. **शैक्षणिक योग्यता सीनियर रेसीडेन्ट :-**

(क) सीनियर रेसीडेन्ट की मूल अर्हता साक्षात्कार के समय एम.सी.आई. के वर्तमान/ अपडेट(Latest) मापदण्ड के अनुसार रहेगी । जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनांक से पिछले पॉच वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है वे ही इस पद के लिये आवेदन करने पात्र होगें । सीनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रैक्टिस करने पी पात्रता नही होगी।

(ख) **जिन चिकित्सकों ने इसी चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस परीक्षा में सम्मिलित/उत्तीर्ण किया है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।** उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सों को प्राथमिकता दी जायेगी । संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नही होगी ।

04. शैक्षणिक योग्यता जूनियर रेसिडेन्ट :-

(क.) एम.बी.बी.एस. पास कर इंटरर्नशिप पूर्ण कर ली हो ।

(ख.) उक्त चिकित्सकों की इंटरर्नशिप विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक से पिछलेतीन वर्ष में पूर्ण हुई हो, इसके पूर्व के चिकित्सक चयन हेतु पात्र नही होंगे ।

(ग.) निजी प्रेक्टिस की पात्रता नही होगी ।

05. **यात्रा भत्ता:-** साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नही दिया जावेगा उन्हें स्वंय के व्यय पर यात्रा करना होगा ।

अन्य शर्ते -:

1. इन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नही किया जा सकेगा, इन पर रेसीडेन्ट्स से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त, की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा ।
4. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी ।
6. यदि कोई आवेदक किसी संस्था में पूर्व से कार्यरत है तो उसे आवेदन के समय ही नियोक्ता का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
7. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल भोपाल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता द्वारा सीनियर रेसीडेन्ट की विभागों में संख्या कार्य आवश्यकता अनुसार समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा ।

नोट:- साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी ।

:- समस्त उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है, कि आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर उपरोक्तानुसार दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं निर्धारित चेकलिस्ट के प्रारूप समेत आवेदन में संलग्न कर कार्यालय में जमा करें।

संचालक
सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल
मेडिकल कालेज जबलपुर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चंद्र बोस (स्वशासी समिति)
मेडिकल कालेज जबलपुर

पृ.क्रमांक/स्वशासी/स्था/राज/23/ जबलपुर दिनांक /04/2023

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल ।
2. संचालक, सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल/स्कूल ऑफ एक्सीलैंस इन न्यूरोसर्जरी की ओर ।
3. स्टेनो की ओर भेज कर लेख है कि चिकित्सा महाविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही करें ।
4. चिकित्सा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

//
संचालक
सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल
मेडिकल कालेज जबलपुर

//
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चंद्र बोस (स्वशासी समिति)
मेडिकल कालेज जबलपुर